राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील सख्या 82 / 2014...................................... जिला...........अलवर

उनवान – मैसर्स मलिक ट्रेडिंग कम्पनी, अलवर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,राज. वृत–तृतीय, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी,वाणिज्यिक कर, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2017	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के ओर से श्री डी कुमार एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह [redacted] उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 06.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.10.2013 के द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति कुल राशि 94,87,077 / – आरोपित की गई है, में से रू. 76,28,107 / –पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने राशि 76,28,107 / –रूपये की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को विवादित किया गया है । उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या 122 / आर.वैट / 2013–14 / अपी. प्राधि. / अलवर का निस्तारण अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17.11.2014 को किया जा चुका है, इसलिए कर बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन (Infructuous) हो गयी है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया । **(मदन लाल मालवीय)** **सदस्य** (खेमराज) अध्यक्ष	